सं– 4024 / 1–10–2010–14(63) / 2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2010

विषयः रिट याचिका संख्या–196 / 2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक–16.12.2010 का अनुपालन कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक याचिका में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–10 फरवरी, 2010 में विभिन्न क्षेत्रों में निराश्रित एवं आश्रयहीन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शेल्टर होम की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी लागू किये जाने के आदेश दिये गये हैं। पुनः मा. न्यायालय के निर्णय दिनांक–13.10.2010 के क्रम में जनपद–आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद के नगरीय क्षेत्रों में आश्रयविहीन व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराकर इनमें आवश्यक सुविधाओं सहित कुल 139 शेल्टर होम स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये। संबंधित नगर निगमों से प्राप्त कार्ययोजना के आधार पर मा. उच्चतम न्यायालय में दिनांक–22.11.2010 को प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करा दिया गया है।

2– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 02 रैन बसेरों को ध्वस्त करने की कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत मामले में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–16.12.2010 को सुनवाई की गयी। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, दिल्ली को आवश्यक निर्देश देने के अतिरिक्त राज्यों को भी निर्देश दिये गये। मा. न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश का कियात्मक हिस्सा निम्नवत् है :–

(1) किसी भी पूर्व से निर्मित शेल्टर होम को ध्वस्त न किया जाय। ऐसा करने की अपरिहार्यता की स्थिति में पूर्ण आवश्यक सुविधाओं सहित शेल्टर होम की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(2) यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु शेल्टर होम या आवश्यक सुविधाओं (Basic facilities) की अनुपलब्धता के कारण न होने पाये। इस संबंध में संबंधित विभाग/ऐजेन्सी आपस में सहयोग कर उक्त के संबंध में कार्यवाही करें।

3– मा. उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये उक्त व्यवस्था की जाय। इस संबंध में गॉव स्तर पर ग्राम पंचायतों को स्थानीय कठिनाईयों तथा निर्धन/आश्रयहीन व्यक्तियों के संबंध में सबसे पहले जानकारी मिलती है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान तथा पंचायत के सचिव के रूप में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाये कि वे, **विशेष कर शीतकाल** में, ग्राम पंचायत के किसी आश्रयहीन व्यक्ति की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/तहसील कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को भेजे। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का उत्तरदायित्व मात्र सूचना देना ही नहीं होगा अपितु वह मामले का अनुश्रवण कर संबंधित आश्रयहीन व्यक्तिय को अविलम्ब आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यक आश्रय के अभाव में कोई जनहानि न हो। ऐसी सहायता पहुंचने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायत में स्थित **सार्वजनिक भवन** यथा **विद्यालय, ऑगनबाड़ी केन्द्र, ए.एन.एम. सेन्टर, पंचायत भवन** खुलवा कर उसमें आश्रयहीन व्यक्तियों को रात में ठहरने के लिये उपलब्ध करा दिया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन स्थानों पर इस हेतु मूल भूत सुविधायें आवश्य ही उपलब्ध हो। उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर उनका यह उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे आश्रय हीन व्यक्तियों को वे सभी मूल भूत सुविधायें जनपद में उपलब्ध विभिन्न विभागों के माध्यम से मिल जायें जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है।

4– आश्रयहीन व्यक्तियों को शेल्टर होम उपलब्ध कराने हेतु की जा रही कार्यवाही के संबंध में मा. उच्चतम् न्यायालय द्वारा गम्भीरतापूर्वक अनुश्रवण किये जाने के आदेशों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. न्यायालय के निर्णय दिनांक–16.12.2010 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इस संबंध में

अधीनस्थ विभागों से समन्वय स्थापित कर मा. न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु आश्रयहीन व्यक्तियों हेतु आवश्यक सुविधाओं/सहायता सहित शेल्टर होम उपलब्ध कराने के संबंध में की जा रही कार्यवाही का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही मा. न्यायालय के आदेशों की अवमानना मानी जायेगी।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0 सरकार।
3– समस्त मण्डलायुक्त।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।